डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 सितम्बर 2001—भाद्र 15, शक 1923

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 3-3/2001/रास/यू.2.—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कुलाधिपतिजी, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छ) के अधीन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रबंध प्रमण्डल में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करते हैं :—

1. धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (तीन) के अधीन कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—

    1. डॉ. डी. एन. राम,
    सेवानिवृत्त संचालक, कृषि,
    270 पाटलिपुत्र कालोनी,
    पटना-800013.

    2. डॉ. आर. बी. सरोदे,
    अधिष्ठाता,
    कालेज आफ डेयरी टेक्नालॉजी,
    पुसद (महाराष्ट्र)

3. डॉ. एस. एस. मगर,
कुलपति,
डॉ. बालासाहेब सावन्त कोंकण,
कृषि विद्यापीठ,
दापोली,
जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
पिन—415712.

2. धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (चार), (पांच) एवं (छ:) के अधीन राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—

1. श्री ई. जे. श्रीवास्तव,
15, आदर्श नगर, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

2. श्री दीनदयाल ओटी,
ग्राम-भाड़ी, तहसील-पेन्ड्रारोड,
जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

3. श्रीमती माया रानी,
ग्राम बड़ोतरा, तहसील लोरमी,
जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Raipur, the 6th September 2001

NOTIFICATION

No. F-3-3/2001/RS/U-2.—In exercise of powers conferred by clause (iii), (iv), (v) and (vi) of Sub-section (2) of Section 26 of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1987 (No. 20 of 1987), the Chancellor hereby nominates the following persons as members of the Board of Management of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur :—

1, Clause (iii) of sub-section (2) of Section 26, Members nominated by the Chancellor—

1. Dr. D. N. Ram,
Retd. Director,
Agriculture,
270, Patliputra Colony,
Patna-800013.

2. Dr. R. B. Sarode,
Dean, Collage of Dairy Technology,
Pusad (Maharastra)

3. Dr. S. S. Magar,
Vice-Chancellor,
Dr. Balasaheb Savant Konkan,
Krishi Vidyapeeth,
Dapoli,
Distt. Ratnagiri, (Maharastra)
Pin—415 712.

2. Clause (iv), (v) and (vi) of Sub-section (2) of Section 26-Members nominated by the State Government—

1. Shri E. J. Shrivastava,
15, Adarsh Nagar,
Durg (Chhattisgarh)

2. Shri Deen Dayal Oti,
Village-Bhadi,
Tehsil-Pendra Road,
Distt.-Bilaspur (Chhattisgarh)

3. Smt. Maya Rani,
Village-Badotara,
Tehsil-Lormi,
Distt.-Bilaspur (Chhattisgarh)

By order to the Chancellor, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya,
B. K. AGRAWAL, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 सितम्बर 2001—भाद्र 15, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1939/एफ-10/365/2001/वाक/पांच (48).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की निम्न विनिर्दिष्ट अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

1. अधिसूचना क्रमांक ए-3-11-86-विक-पांच (74), दिनांक 16-10-86 के उपाबंध-दो की कंडिका 4 उप-कंडिका (घ) के स्थान पर निम्न उप-कंडिका प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

(घ) राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनेगी :—

1.	आयुक्त वाणिज्यिक कर	अध्यक्ष
2.	उद्योग आयुक्त या उनका प्रतिनिधि, जो अपर संचालक स्तर से कम ना हो.	सदस्य सचिव
3.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम या उनका प्रतिनिधि, जो अपर प्रबंध संचालक स्तर से कम ना हो.	सदस्य

2. यह संशोधन दिनांक 1-11-2000 से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 6th September 2001

NOTIFICATION

No. 1939/F-10/365/2001/CT/V (48).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in this department notification specified below :—

AMENDMENT

1. In the Annexure II, for Sub-para (d) of para 4 of the notification A-3-11-86-ST-V (74), dated 16th Oct, 1986 the following Sub-para shall be substituted, namely :—

(d) The State Level Committee shall consist of the following officers :—

1.	Commissioner of Commercial Tax	Chairman
2.	Industries Commissioner or his representative not below the rank of Additional Director.	Member Secretary
3.	Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation or his representative not below the rank of Additional managing Director.	Member

2. This amendment shall come into force with effect from 1-11-2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1940/एफ-10/365/2001/वाक/पांच (49).—चूंकि, राज्य शासन का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव—

(i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17, तथा

(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की निम्न विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

(i) अधिसूचना क्रमांक ए-3-24-94-विक-पांच (108), दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के उपाबंध-दो की कंडिका 4 (घ)

(ii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-30-91-विक-पांच (7), दिनांक 15 जनवरी 1992 के उपाबंध-दो की कंडिका 6 (घ)

(iii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-14-92-विक-पांच (50), दिनांक 3 जून 1993 के उपाबंध-एक की कंडिका 4

में दर्शित विद्यमान "राज्य स्तरीय समिति" के स्थान पर निम्नलिखित "राज्य स्तरीय समिति" प्रतिस्थापित की जाए :—

1.	आयुक्त वाणिज्यिक कर	अध्यक्ष
2.	उद्योग आयुक्त या उनका प्रतिनिधि, जो अपर संचालक स्तर से कम ना हो.	सदस्य सचिव
3.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम या उनका प्रतिनिधि, जो अपर प्रबंध संचालक स्तर से कम ना हो.	सदस्य

2. यह संशोधन दिनांक 1-11-2000 से प्रभावशील होंगे.

Raipur, the 6th September 2001

NOTIFICATION

No. 1940/F-10/365/2001/CT/V (49).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by :—

(i) Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and

(ii) Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)

the State Government hereby makes the following amendments in this department notifications specified below :—

AMENDMENTS

The existing State Level Committee mentioned

(i) in para 4 (d) of the Annexure II of the notification A-3-24-94-ST-V (108), dated 6th Oct. 1994.

(ii) in para 6 (d) of the Annexure II of the notification A-3-30-91-ST-V(7), dated 15th Jan. 1992.

(iii) in para 4 of the Annexure I of the notification A-3-14-92-ST-V(50), dated 3rd June 1993.

Shall be substituted by the following State Level Committee :—

1.	Commissioner of Commercial Tax	Chairman
2.	Industries Commissioner or his representative not below the rank of Additional Director.	Member Secretary

3.	Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation or his representative not below the rank of Additional Managing Director.	Member

2. These amendments shall come into force with effect from 1-11-2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1941/एफ-10/365/2001/वाक/पांच (50).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा. इस विभाग की निम्न विनिर्दिष्ट अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

1. अधिसूचना क्रमांक ए-3-24-94-विक-पांच (112), दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के उपाबंध-दो की कंडिका 5 की उप-कंडिका (ख) के स्थान पर निम्न उप-कंडिका प्रतिस्थापित की जाए , अर्थात् :—

(ख) राज्य स्तरीय समिति :—

1.	आयुक्त वाणिज्यिक कर	अध्यक्ष
2.	उद्योग आयुक्त या उनका प्रतिनिधि, जो अपर संचालक स्तर से कम ना हो.	सदस्य सचिव
3.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम या उनका प्रतिनिधि, जो अपर प्रबंध संचालक स्तर से कम ना हो.	सदस्य

2. यह संशोधन दिनांक 1-11-2000 से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 6th September 2001

NOTIFICATION

No. 1941/F-10/365/2001/CT/V (50).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendments in this department notification specified below :—

AMENDMENT

1. In the Annexure II, for sub-para (b) of para 5 of the notification A-3-24-94-ST- V(112), dated 6th Oct. 1994, the following sub-para shall be substituted namely :—

(b) The State Level Committee :—

1.	Commissioner of Commercial Tax	Chairman
2.	Industries Commissioner or his representative not below the rank of Additional Director.	Member Secretary
3.	Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation or his representative not below the rank of Additional Managing Director.	Member

2. This amendment shall come into force with effect from 1-11-2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.